


282

मिरा ४४३८/२०१८/रीवा/भूम्या

158

व्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा मप्र०



- 1- बाल्मीकी तनय स्व० श्री केमला पटेल उम्र-60 वर्ष पेशा खेती
 - 2- रामानुज पटेल तनय स्व० श्री केमला पटेल उम्र-55 वर्ष पेशा खेती
 - 3- गुरुद्वारा देवी पति श्री उदयभान उम्र-45 वर्ष पेशा खेती
- (सभी निवासी ग्राम पुरवा कोठर पोस्ट गोंदरी -27 तहसील मनगवां जिला रीवा मप्र०)

—निगरानीकर्तार्गण

बनाम

कर्ता अफ ब्रेट
राजस्व मण्डल १०३० व्यायालय
(सर्किल कोटीश्वरीनारायण तनय श्री रामप्रताप पटेल उम्र-65 वर्ष निवासी पुरवा कोठर पोस्ट गोंदरी नं०-२७
तहसील मनगवां जिला रीवा मप्र०)

—गैरनिगरानीकर्ता

नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक
6/अ-५/२०१५-१६ के आदेश दिनांक 19.10.2016 का
हवाला देकर पटवारी व राजस्व निरीक्षक के द्वारा आराजी
नम्बरी 65/1क, 65/1ख, 65/1ग, 65/2, 65/3, 65/4, व
65/5 के नक्शा तरमीम की की गयी अवैधानिक कार्यवाही व
तथाकथित आदेश के विरुद्ध निगरानी याचिका

अंतर्गत धारा-५० भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार

आवेदकगण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

- 1- पटवारी हल्का माल के पटवारी के ०के० मिश्र तथा राजस्व निरीक्षक सर्किल गढ़ कमलेद्व सिंह के द्वारा मिलकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही तथा मौके पर बिना कोई जांच किए ही फर्जी प्रकरण क्रमांक व आदेश का हवाला देकर आराजी नम्बरी 65/1क, 65/1ख, 65/1ग, 65/2, 65/3, 65/4, व 65/5 की नक्शा तरमीम की कार्यवाही जिस तरह से की गयी है व न केवल अवैधानिक है बल्कि अधिकारितारहित भी है इस कारण उक्त नक्शा तरमीम किसी भी दृष्टिकोण से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- 2- ग्राम कोती जनरल नम्बर ७८ पटवारी हल्का माल राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़

112/1

(158)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.4438-शिवा/18 जिला शिवा

.....वार्षिक पटलविरुद्धयुद्धग्रामणपटल

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अब्दुल खान अधिवक्ता</p> <p>द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील भूजगढ़ के</p> <p>प्रकरण क्रमांक 6/अ-८/2015-16 में पारित आदेश</p> <p>दिनांक 1.9.10.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-</p> <p>राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप</p> <p>अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)</p> <p>के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवा के न्यायालय</p> <p>को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को</p> <p>कलेक्टर शिवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

इति है से

2- ग्राम कोती जनरल नम्बर 78 पटवारी हल्का माल राजस्व विरोक्तक मण्डल गढ़

11/2/11